अपील सूचना अधिकार संख्या 78/2018 (RCMS 2018/00194) श्री गुरप्रीत सिंह मान, निवासी गुरूनकर, वार्ड नम्बर 06, श्रीगंगानगर, मोबा. नं. 80057–84352 बनाम जिला कलक्टर श्रीगंगानगर (तहसीलदार, श्रीगंगानगर)

07.08.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गुरप्रीत सिंह स्वयं उपस्थित नही। अप्रार्थी तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि **अपीलार्थी ने** जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19.09.2018 को प्रस्तुत करके तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर के कार्यालय की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गुरप्रीत सिंह मान ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.09.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. कृषि भूमि के डिक्री इंतकाल चढाने से पहले विभाग द्वारा जारी जिन नियमों या नियमावली का अनुसरण करना आवश्यक है, उस नियमावली की प्रमाणित प्रति देवें।
2. कृषि भूमि के डिक्री इंतकाल चढ़ाने से पूर्व जिस नियम के अन्तर्गत ईजराय डिक्री लेना आवश्यक है उसकी प्रमाणित प्रति देवें अथवा जानकारी देवें। (निरन्तर जारी है संलग्न दस्तावेज देवें)
3. तहसीलदार के on duty रहते हुए भी जिन नियमों के अन्तर्गत नायब तहसीलदार द्वारा, तहसीलदार के कार्यक्षेत्र में डिक्री इंतकाल को Pass किया जाता है, विभाग के उन नियमों की प्रमाणित प्रति देवें अथवा जानकारी देवें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. डिक्री इंतकाल चढ़ाने के लिए विभाग के नियमानुसार जिन–जिन दस्तावेजों को संलग्न करने की अवश्यकता होती है। उन दस्तावेजों की सूची की प्रमाणित प्रति देवें अथवा जानकारी देवें।

5. डिक्री इंतकाल चढ़ाने में जिन–जिन कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा जो कार्य जिस–जिस स्तर पर किया जाता है, पदानुक्रम तथा कार्य विवरण की जो नियमावली विभाग द्वारा जारी की गई है उसकी प्रमाणित प्रति देवें अथवा जानकारी देवें।

6. डिक्री इंतकाल चढाने में विभाग द्वारा जो सामान्यतः दिन लगते है, उसकी जानकारी देवें।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक भू.अ./2018/39 दिनांक 04.01.2019 को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त प्रासांगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि आवेदक श्री गुरप्रीत सिंह मान का आवेदन श्रीमान् राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अत. जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर से क्रमांक 499 दिनांक 28.09.2018 से प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्रांक भू.अ./2018/6121 दिनांक 11.10.2018 द्वारा प्रार्थी को सूचित कर दिया गया है कि प्रार्थी द्वारा किसी दस्तावेज या पत्र की नकल/सूचना नहीं चाही गई है तथा चाही सूचना प्रश्नवाचक है तथा नियमों की जानकारी से सम्बन्धित है, जिसे सूचना के अधिकार में उपलब्ध नहीं करवाया जाता है।

अपील का जवाब तैयार करके श्रीमान् की सेवा में सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (राजस्व)
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार(भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक भू.अ./2018/6120 दिनांक 11.10.2018 से अपीलार्थी गुरप्रीत सिंह मान को निम्नानुसार जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में लेख है कि आपके द्वारा आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 1 से 6 में किसी दस्तावेज या पत्र की नकल/सूचना नहीं चाही गई है, आप द्वारा चाही सूचना प्रश्नवाचक है तथा नियमों की जानकारी से सम्बन्धित है, जिसे सूचना के अधिकार में उपलब्ध नहीं करवाया जाता है।
>
> सूचना प्रेषित है।
>
> तहसीलदार (भू.अ.)
> श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि किसी निश्चित दस्तावेज की प्रति चाहे तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, गंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर